

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

नीलामी सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश के स्वीकृति आदेश दिनांकित 05.02.2024 के अनुक्रम में जनपद न्यायालय कासगंज के 18 न्यायालय भवन स्थित मामों कासगंज में फोटो स्टेट हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक) के लिये ठेके की नीलामी दिनांक 12.02.2024 को समय 04:35 बजे जनपद न्यायालय कासगंज के केन्द्रीय नजारत अनुभाग में की जायेगी इच्छुक व्यक्ति समय से उपस्थित आकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठेके का विवरण एवं शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से जानकारी ली जा सकती है।

फोटो स्टेट हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक) के लिये ठेके की नीलामी नियम व शर्तें निम्नवत हैं।

- 1- उपरोक्त ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 के लिये) तय रहेगी।
- 2- सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
- 3- ठेके की धनराशि का ¼ भाग उसी समय जमा करना होगा। शेष ¼ भाग माह जुलाई 2024 में, शेष ¼ भाग माह नवम्बर 2024 में तथा शेष ¼ भाग माह फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में जमा करना होगा।
- 4- ठेका फोटो स्टेट हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में मु0- 6,72,000/- रुपये में स्वीकृत किया गया था। ठेका फोटोस्टेट हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नीलामी के लिये बोलीदाता उपलब्ध न होने के कारण नीलामी की प्रक्रिया नहीं हो सकी। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 2968 / एडमिन (बी-1) सेक्शन दिनांकित 30.09.2023 के द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में सीलबंद निविदा आमंत्रित कर वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि 16.10.2023 से 31.03.2024 तक मु0- 3,40,000/- रुपये में स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत ठेका धनराशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर कुल मु0 -7,39,200/- रुपये से बोली शुरू की जायेगी।
- 5- प्रत्येक बोलीदाता को अंकन 25,000/- रुपये बोली बोलने से पूर्व जमा करने होंगे तथा साथ में अपना आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।
- 6- बोली बोलने वाला व्यक्ति प्रतिबंधित सूची के अन्तर्गत न आता हो और कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही किसी भी प्रकार का मामला विचाराधीन हो।
- 7- बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज के पास सुरक्षित रहेगा।
- 8- ठेकेदार को फोटो स्टेट हेतु चिन्हित स्थान की साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0- 139 दिनांक 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामान की दर सूची प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज द्वारा सत्यापित करा कर ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक सूची को आसानी से देख सके।
- 9- ठेकेदार ठेके की अवधि में उपभोग की गयी विद्युत का खर्चा स्वयं वहन करेगा।
- 10- ठेकेदार के पक्ष में छोड़े गये ठेके की धनराशि के मूल्य के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे एवं जिस व्यक्ति के नाम ठेका स्वीकृत होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र सं0- 31/S दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार ठेकेदार को बोली के पश्चात 100/- रुपये का स्टाम्प पेपर ले कर आना होगा और अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।

दिनांक- .02.2024

(गगन कुमार भारती)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 03

कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01- जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O. No. 562/19-2-2007-1007(T.C.) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने पर चरपा किये जाने हेतु।
- 02- 18 न्यायालय कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चरपा किये जाने हेतु।
- 03- कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चरपा किये जाने हेतु।
- 04- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक- .02.2024



(गगन कुमार भारती)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 03

कासगंज।